भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 786
(24 जुलाई, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी भुगतान में विलंब

786. श्री विवेक के. तन्खा:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी संवितरण में औसत विलंब कितना रहा है;
(ख) मजदूरी भुगतान में सर्वाधिक विलंब वाले राज्यों का ब्यौरा क्या है;
(ग) अधिनियम के अंतर्गत विलंबित भुगतान के लिए देय मुआवजे की राशि कितनी है; और
(घ) अब तक वास्तव में संवितरित किए गए ऐसे मुआवजे की राशि कितनी है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क): महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत, संबंधित राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा सृजित निधि अंतरण आदेशों (एफटीओ) के आधार पर मजदूरी भुगतान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रोटोकॉल के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा सीधे लाभार्थियों के खातों में जमा किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा मस्टर रोल बंद होने के 15 दिनों के भीतर 96.25% एफटीओ सृजित किए गए।

(ख): वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत 15 से अधिक दिनों के बाद किए गए भुगतानों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार प्रतिशत विवरण अनुबंध में दिया गया है।

(ग) और (घ): उल्लेखनीय है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (महात्मा गांधी नरेगा) की अनुसूची-II के प्रावधानों के अनुसार, मजदूरी चाहने वालों को मस्टर रोल बंद होने की तिथि से सोलहवें दिन के पश्चात विलंब के प्रत्येक दिन के लिए अवैतनिक मजदूरी की 0.05% की दर से विलंब हेतु मुआवजा प्राप्त करने का हकदार होगा।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान देय एवं वास्तव में भुगतान किए गए विलंब मुआवजे का विवरण नीचे दिया गया है:

स्वीकृत विलंब मुआवजा राशि [रु. में]	भुगतान किया गया विलंब मुआवजा [रु. में]
1,54,17,815	40,14,493

नरेगासॉफ्ट के अनुसार

अनुबंध

दिनांक 24.07.2026 को राज्यसभा में उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 786 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत 15 से अधिक दिनों के बाद किए गए भुगतानों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार प्रतिशत		
क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	15 से अधिक दिनों के बाद किया गया भुगतान (%)
1	अंडमान और निकोबार	64.7
2	मणिपुर	48.38
3	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	34.23
4	नागालैंड	30.37
5	गोवा	25.17
6	अरुणाचल प्रदेश	19.77
7	पुद्दुचेरी	17.98
8	महाराष्ट्र	17.97
9	मेघालय	14.48
10	लद्दाख	14.17
11	पंजाब	10.14
12	हरियाणा	9.74
13	जम्मू और कश्मीर	9.48
14	सिक्किम	6.91
15	बिहार	3.89
16	मिजोरम	3.41
17	त्रिपुरा	3.4
18	छत्तीसगढ़	2.43
19	ओडिशा	2.35
20	असम	2.34
21	कर्नाटक	1.91
22	मध्य प्रदेश	1.9
23	उत्तर प्रदेश	1.76

24	राजस्थान	1.3
25	केरल	0.95
26	हिमाचल प्रदेश	0.74
27	तेलंगाना	0.64
28	गुजरात	0.6
29	झारखंड	0.15
30	उत्तराखंड	0.04
31	आंध्र प्रदेश	0.02
32	लक्षद्वीप	0
33	तमिलनाडु	0
34	पश्चिम बंगाल	0
	औसत	**3.75**

नरेगासॉफ्ट के अनुसार
